

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019

शंकर लाल पुत्र श्री चंदा लाल मीणा, उम्र लगभग 34 वर्ष, पता - गांव आंवां, तहसील दूनी, जिला टोंक। व्यवसाय - कृषक.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
3. जिला वन अधिकारी, टोंक।
4. श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय, आंवां, अध्यक्ष नेमीचंद जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन, निवासी पटेल नगर, देवली, जिला टोंक के माध्यम से।

----प्रतिवादी

से जुड़ा हुआ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17/2022

श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शन तीरथ, पोस्ट आंवा, जिला टोंक अपने सचिव के माध्यम से, सचिव पवन कुमार जैन, पुत्र श्री चौथमल जैन, उम्र 51 वर्ष, निवासी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय, आंवा, जिला टोंक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अतिरिक्त सचिव, वन विभाग, वायु ब्लॉक, द्वितीय तल, इंदिरा पर्यावरण के माध्यम से भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली 110003
2. राजस्थान राज्य, सचिव प्रशासन, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, मुख्य भवन, भगवान दास रोड, जयपुर (राजस्थान) - 302005 के माध्यम से
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) 302004
4. जिला कलेक्टर, टोंक, सिविल लाइंस, टोंक (राजस्थान) 304001
5. तहसीलदार, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.) 308404

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्रीमती सुदेश कसाना डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14483/2019,
श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा सेठ द्वारा सहायता प्राप्त एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17/2022,

प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री टेक चंद शर्मा, अधिवक्ता
श्री रवींद्र पाल सिंह, अधिवक्ता श्री नीरज बत्रा, डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14483/ 2019 में प्रतिवादी के लिए जीसी
श्री सी.एस. सिन्हा, एडवोकेट, सुश्री कनिका वाधवानी, एडवोकेट, श्री आर.डी. रस्तोगी, एएसजी के साथ, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17/2022 में प्रतिवादी संख्या 1 के लिए
श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रज्ञा सेठ द्वारा सहायता प्राप्त, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14483/2019 में अधिवक्ता

माननीय श्रीमान. जस्टिस पंकज भंडारी

माननीय श्रीमान. जस्टिस प्रवीर भटनागर

निर्णय

प्रकाशनीय

आरक्षित

12/08/2024

घोषित

03/09/2024

(पंकज भंडारी, जे द्वारा)

1. याचिकाकर्ता- शंकर लाल ने डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4, गांव- अनवान, तहसील दूनी, जिला में स्थित खसरा संख्या 2145, 2064, 2148 और 2191 पर अतिक्रमण कर रहा है। टोंक as ghair-mumkin पहाड़ की वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता- श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिथय शेखा ने एसबी सीडब्ल्यूपी संख्या 17/2022 दायर कर प्रार्थना की है कि गांव-अनवान, तहसील दूनी, जिला टोंक में स्थित खसरा संख्या 2145, 2064, 2148 और 2191 को उनके पक्ष में नियमित किया जाए।

2. चूँकि दोनों याचिकाएँ अर्थात डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 और एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17/22, खसरा संख्या 2145, 2064, 2148 और 2191 से संबंधित हैं, इसलिए एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17/22 को डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की गई।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता- शंकर लाल ने डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 खसरा संख्या 2145, 2064, 2148 और 2191 पर अतिक्रमण कर रहा है जो गैर-मुमकिन है। पहाड़ और वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि। जनहित याचिका के साथ राजस्व रिकॉर्ड भी संलग्न किया गया है, जिसमें भूमि को गैर-मुमकिन के रूप में दर्शाया गया है। पहाड़ और वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि। याचिकाकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 दायर की गई। याचिका के जवाब में, वन विभाग ने बताया है कि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ विभिन्न भूमि पर अतिक्रमण करने और उसका गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसके लिए प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और जुर्माना भी लगाया गया था।

4. प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने उत्तर में कहा है कि भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ ज़मीन के नीचे मिली थीं और चूँकि जैन समुदाय के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मूर्तियाँ लगभग 200-300 साल पुरानी थीं, इसलिए ऐसी मूर्तियों को उसी स्थान पर निर्माण करके संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे स्थान पवित्र होते हैं और उन्हें 'अतिशय' कहा जाता है। उत्तर में यह भी दलील दी गई है कि विवादित खसरा संख्याएँ वन भूमि नहीं हैं और राज्य सरकार द्वारा उन्हें वन भूमि घोषित करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने वन विभाग के साथ-साथ विवादित खसरों के आवंटन/अधिग्रहण के लिए भी आवेदन किया है।

5. कलेक्टर के लिए डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 को गैर-मुमकिन पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है पहाड़ पर वन विभाग की अनुमति लिए बिना ही भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, जिसे राजस्व अभिलेखों में वन विभाग की भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया। यह तर्क

दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विवादित संख्याएँ प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में स्वीकृत नहीं की गई हैं और वे अतिक्रमणकारी हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि वन विभाग के उत्तर के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 पर जुर्माना लगाया गया है और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इस प्रकार, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी हैं और अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित खसरा नंबरों के निकट, प्रतिवादी संख्या 4 के पास कई खसरा नंबरों का कब्जा है और वे केवल निकटवर्ती गैर पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुमकिन पहाड़ की वन भूमि पर बिना किसी कानूनी अधिकार या संबंधित विभाग की अनुमति के अतिक्रमण किया गया। आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 26.08.2019 को जनहित याचिका दायर की थी और यद्यपि प्रतिवादी संख्या 4 को जनहित याचिका के लंबित होने की जानकारी थी क्योंकि वे याचिका में एक पक्ष थे, उन्होंने इस तथ्य को छिपाया और 15.12.2021 को एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17/2022 दायर की, बिना इस तथ्य का उल्लेख किए कि विवादित खसरा संख्या के संबंध में एक जनहित याचिका पहले से ही लंबित है। तर्क दिया गया है कि श्री शांतिनाथ द्वारा दायर रिट याचिका दिगम्बर जैन अतिशय शेत्रा को केवल इसी आधार पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। श्री शांतिनाथ के रूप में भी उन्हें बर्खास्त किया जाना आवश्यक है। दिगम्बर जैन अतिशय शेत्रा को गैर-मुमकिन पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है पहाड़ जो राजस्व रिकार्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज है।

7. श्री शांतिनाथ के वकील दिगम्बर जैन अतिशय शेत्रा ने याचिका का विरोध किया है। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय को धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से भगवान महावीर की मूर्तियों के मामले में। पहाड़ की खुदाई करने पर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ मिलीं। यह तर्क दिया गया है कि विवादित खसरों को वन भूमि घोषित करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने विवादित खसरा संख्या के आवंटन/नियमन के लिए कलेक्टर को आवेदन किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय शेत्रा ने इससे पहले एक रिट याचिका संख्या 1528/2021 दायर की थी, जिसमें जनहित याचिका दायर करने के तथ्य का उल्लेख किया गया था। न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया और तहसीलदार, दूनी जिला टोंक को कलेक्टर के दिनांक 21.07.2020 के पत्र का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया गया

और कलेक्टर, टोंक को उसके बाद याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई। यह भी तर्क दिया गया है कि सिविल रिट याचिका संख्या 1528/2021 में, याचिकाकर्ता ने विवादित खसरा संख्या की मांग की थी और कलेक्टर ने तहसीलदार को पत्र लिखा था। श्री शांतिनाथ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 21.07.2020 के संचार के माध्यम से दिगम्बर जैन अतिशय शेखा .

8. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 17/2022 में कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है और चूंकि विवादित खसरा संख्या से पहाड़ों की खुदाई करके मूर्तियां प्राप्त की गई हैं, इसलिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया जाना है।

9. हमने तर्कों पर विचार किया है।

10. पक्षकारों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि खसरा संख्या- 2145, 2064, 2148 और 2191 प्रतिवादी संख्या 4 के नहीं हैं। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, यह गैर के रूप में पंजीकृत है। मुमकिन पहाड़ की ज़मीन वन विभाग के कब्जे में है और वन विभाग के जवाब के अनुसार, ये खसरा नंबर उनके हैं। चाहे ये खसरा नंबर वन विभाग के हों या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खसरा नंबर गैर का हिस्सा हैं। मुमकिन पहाड़ और प्रतिवादी संख्या 4 को उस पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है।

11. प्रतिवादी संख्या 4 के वकील का यह तर्क कि इन पहाड़ों पर खुदाई करते समय भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ निकलीं, न्यायालय को इस कारण से स्वीकार्य नहीं होता कि चूंकि ये पहाड़ प्रतिवादी संख्या 4 के नहीं थे, इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि वे इन पहाड़ों पर कैसे गए और किसके अधिकार से उन्होंने इन पहाड़ों की खुदाई की, जो वन विभाग के नाम पर हैं। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने शुरू में इन गैर मुमकिन पहाड़ों के आवंटन के लिए वन विभाग को आवेदन किया था, यह दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 जानते थे कि ये गैर मुमकिन पहाड़ वन विभाग के हैं, हालाँकि, बाद में, उन्होंने इन गैर मुमकिन पहाड़ों के आवंटन/नियमितीकरण के लिए कलेक्टर को आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 के उत्तर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके पास आसपास की कई हेक्टेयर भूमि का कब्जा है और उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के गैर मुमकिन पहाड़ पर अतिक्रमण किया है।

12. याचिकाकर्ता- शंकर लाल ने 26.08.2019 को डी.बी. जनहित याचिका दायर की और श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा ने 15.12.2021 को एस.बी. सिविल रिट याचिका दायर की। भले ही उन्होंने जनहित याचिका के लंबित होने के बारे में पूर्व रिट याचिका संख्या 1528/2021 में दावा किया था, फिर भी रिट याचिका संख्या 17/2022 में याचिकाकर्ताओं का यह कर्तव्य था कि वे उस जनहित याचिका के लंबित होने के बारे में खुलासा करें, जिसमें अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ता- श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा अतिक्रमणकारी हैं क्योंकि उन्होंने वन विभाग और उसके बाद कलेक्टर के समक्ष अपने कब्जे के नियमितीकरण के लिए आवेदन देना स्वीकार किया है। चूंकि उन्होंने गैर मुमकिन पहाड़ पर कब्जा करने से पहले वन विभाग या कलेक्टर से कोई अनुमति नहीं ली है, इसलिए उन्हें गैर मुमकिन पहाड़ पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।

13. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता शंकर लाल द्वारा दायर डीबी जनहित याचिका संख्या 14483/2019 स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी-राज्य को अतिक्रमण हटाने और संपत्ति वन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

14. हमारा मानना है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर सरकारी भूमि, विशेषकर वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा ने न तो उस दिन का जिक्र किया है जिस दिन मूर्तियाँ निकली थीं, न ही उस खास खसरा नंबर का जहाँ से मूर्तियाँ निकली थीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने घेर में प्रवेश करने से पहले वन विभाग या सरकार से कोई अनुमति नहीं ली है। मुमकिन पहाड़ खोदने से पहले और पहाड़ की खुदाई से पहले। धार्मिक सिद्धांतों के बहाने मूर्तियों के उत्खनन का सिद्धांत न्यायालय को रास नहीं आया। श्री शांतिनाथ द्वारा दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17/2022 दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा की याचिका इस आधार पर भी खारिज की जानी चाहिए कि उन्होंने जनहित याचिका के लंबित होने की जानकारी नहीं दी है। यह याचिका इस आधार पर भी खारिज की जानी चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने बिना वैध अनुमति के वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। इसलिए, श्री शांतिनाथ द्वारा दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17/2022 दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा को 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जिसमें से 2 लाख रुपये की लागत डीबी पीआईएल याचिका संख्या 14483/2019 में याचिकाकर्ता शंकर लाल को दी जानी चाहिए, जिन्होंने श्री शांतिनाथ द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को सुर्खियों में लाया है। दिगंबर जैन अतिशय शेत्रा को चार सप्ताह के

भीतर भुगतान करना होगा तथा शेष 3 लाख रुपए की राशि चार सप्ताह के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में जमा करानी होगी।

15. चार सप्ताह में लागत राशि जमा न करने पर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ-साथ याचिकाकर्ता शंकर लाल को उचित आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय के संज्ञान में लाने की अनुमति दी जाती है।

16. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो गया है।

(प्रवीर भटनागर), जे

(पंकज भंडारी), जे

चंदन/

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी